प्रेस नोट थाना बण्डा
जनपद शाहजहाँपुर

सरहानीय कार्य दिनांक 13.07.2025

थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज देकर धोखाधडी करने के अपराध में वांछित/फरार चल रहे 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी पुवायां के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र / अफीम चरस बिक्री-निर्माण एवं चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन/गश्त के दौरान थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 13.07.25 को थाना बण्डा पुलिस टीम देखरेख शान्ति व्यवस्था व चैंकिग सदिंग्ध व्यक्ति/वाहन व रोकथाम जुर्म जरायम व अभियान अवैध शस्त्र - अवैध मादक पदार्थ कसीदगी – बिक्री रोकथाम हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर गहलुइया नहर मोड के पास से मु0अ0सं0-111/2025 धारा 318(4)/316(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.गुरपिन्दर सिंह उर्फ गप्पू पुत्र रूढ सिंह 2. हरप्रीत सिंह उर्फ हेप्पी पुत्र निन्दर सिंह उर्फ नरेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम गहलुइया, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनों अभियुक्तगण द्वारा बण्डा क्षेत्र से करीब 8-10 व्यक्तियों से विदेश भेजने के नाम पर अपने खातों में रुपये ट्रांसफर कराये गये तथा कूटरचित वीजा उपलब्ध कराये गये तथा धोखाधडी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

गुरपिन्दर सिंह उर्फ गप्पू पुत्र रूढ सिंह उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम गहलुइया थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर।
हरप्रीत सिंह उर्फ हेप्पी पुत्र नरेन्द्र सिंह उम्र करीब 29 वर्ष निवासीगण ग्राम गहलुइया थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0-111/2025 धारा 318(4)/316(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्र0नि0 श्री प्रदीप कुमार राय
उ0नि0 जयचन्द गिरि
हे0का0 241 रामसजीवन
हे0का0 380 अजमेर सिंह
का0 2563 बसंत चौहान